

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) ख के अनुसार वर्ष 2025–26 के अद्यतन 25 मैनुअल्स का संग्रह



सूचना का
अधिकार
**RIGHT TO
INFORMATION**

UPDATED VERSION OF 25 MANUALS UNDER
SECTION 4(1) B OF RIGHT TO INFORMATION
ACT 2005 (YEAR 2025-26)

निदेशक,
पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड
पशुधन भवन, मोथरोवाला रोड
देहरादून— 248115

फोन नं० 0135–2532809 फैक्स नं० 0135–2632909

**e-mail :- *dir-ah-uk@gov.in,*
*dirahuk@gmail.com***

“प्राक्कथन”

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अनुच्छेद धारा-4(1) ख के अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों, विभागों में 25 मैनुअल्स बनाये जाने के प्राविधान के परिपालन में 25 मैनुअल्स तैयार किये गये हैं। । प्रत्येक मैनुअल में वर्गीकृत सूचना उपलब्ध है, ताकि नागरिकों द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु जब भी आवेदन किया जाये तो आधारभूत सूचनायें इन मैनुअलों में ही उपलब्ध हो जायेगी, तथा शेष सूचनाओं के लिये अन्य स्रोतों का आश्रय लेना होगा ।

पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड द्वारा अधिनियम की धारा-4 (1) ख द्वारा निर्धारित 25 मैनुअलों के अन्तर्गत विभिन्न विभागीय सूचनाओं को एक स्थान पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है।

इस मैनुअल में विभागाध्यक्ष स्तर की सूचनाओं को व्यवस्थित किया गया है । माह दिसम्बर 2009 में विभाग का पुनर्गठन होने के फलस्वरूप पशुपालन विभाग में विभागाध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन करने हेतु निदेशक, पशुपालन के पद का सृजन किया गया है जिसका मुख्यालय देहरादून में रखा गया है । पुनर्गठन के फलस्वरूप विभागीय अपीलीय अधिकारियों, विभिन्न लोक सूचना अधिकारियों के पदनामों में भिन्नता होने के कारण इनके नामांकन को भी अंतिम रूप दिया गया है । वर्तमान में उसी आधार पर विभागाध्यक्ष स्तर से सम्बन्धित सूचना प्रस्तुत मैनुअलों में दी जा रही है ।

दिनांक: 27.06.2026

स्थान: देहरादून

(डॉ० उदय शंकर)

निदेशक

पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड

देहरादून



मैनुअल—1

संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य

**THE PARTICULARS OF ITS ORGANIZATION,
FUNCTIONS AND DUTIES**

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	मैनुअल-1 संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य	01-22
1.1	पशुपालन विभाग का गठन: पदों का विवरण: वर्तमान ढांचा पुनर्गठन सम्बन्धी सूचना।	05-10
1.2	संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य।	11-12
1.3	राज्य की पशुपालन नीति के सम्पादन हेतु कार्यरत योजनाएं।	12-13
1.4	पशुपालन विभाग, के अन्तर्गत ग्राम्य स्तर तक चलाये जा रहे विभागीय कार्यकलापों का विवरण।	13-14
1.5	पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण।	14-22

1.1 पशुपालन विभाग का गठन: पदों का विवरण: वर्तमान ढांचा पुनर्गठन सम्बन्धी सूचना

ब्रिटिश कालीन संयुक्त प्रांत में वर्ष 1892 से पूर्व पशु कल्याण के कार्य का संचालन भारत सरकार के सिविल वेटनरी डिपार्टमेंट के इम्पीरियल हॉर्स ब्रीडिंग डिपार्टमेंट के शिमला मुख्यालय द्वारा सम्पादित किया जाता था ।

वर्ष 1892 में संयुक्त प्रांत में निदेशक भू अभिलेख तथा कृषि के अन्तर्गत सिविल वेटनरी विभाग की स्थापना की गयी जिसका मुख्यालय बाबूगढ़ (मेरठ) में था। वर्ष 1899 में ग्लैन्डर एण्ड फारसी एक्ट अस्तित्व में आया तथा वर्ष 1901 में सात पशुचिकित्सालयों की स्थापना की गयी। वर्ष 1910 में मझरा (खीरी) एवं वर्ष 1913 में माधुरीकुण्ड (मथुरा) में पशुफार्म स्थापित किये गये साथ ही पंजाब पशुचिकित्साविद्यालय लाहौर में पशु सम्बन्धी प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी। वर्ष 1920 में कैटिल बीडिंग कार्य हेतु मझरा फार्म (खीरी) माधुरीकुण्ड फार्म (मथुरा) कृषि विभाग को सौंप दिये गये तथा बैनीपुर (आगरा) व आटा (जालौन) में क्वारनटाइन स्टेशन खोले गये। वर्ष 1920 में सिविल वेटनरी विभाग को निदेशक, भू अभिलेख तथा कृषि के नियंत्रण से वापस सरकार द्वारा पशुचिकित्सा सलाहकार नियुक्त किया गया। वर्ष 1929 में पशुचिकित्सासलाहकार का पदनाम निदेशक, सिविल वेटनरी डिपार्टमेंट कर दिया गया।

अविभाजित उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की पृथक रूप से स्थापना वर्ष 1944 में की गयी थी। इससे पूर्व सिविल वेटनरी डिपार्टमेंट एवं कृषि विभाग द्वारा पशुपालन सम्बन्धी कार्य सम्पादित किये जाते थे। उस समय सिविल वेटनरी डिपार्टमेंट मुख्यतः अश्व प्रजनन एवं पशु रोग नियंत्रण कार्य से सम्बन्धित था। कृषि विभाग द्वारा गोवंशीय सांडों की पूर्ति पशु प्रजनन हेतु की जाती थी। बाद में पशुपालन विभाग की पृथक रूप से स्थापना होने पर पशु चिकित्सा, रोग नियंत्रण, पशु प्रजनन एवं चारा विकास आदि कार्यक्रम भी पशुपालन विभाग द्वारा प्रारम्भ किये गये। 1 अप्रैल 1944 में निदेशक पशुपालन विभाग की स्थापना की गयी जिसके द्वारा वर्ष 1946 तक सिविल वेटनरी डिपार्टमेंट के सभी कार्य निदेशक पशुपालन विभाग के नियंत्रण में ग्रहण कर लिए गये।

पशुपालन निदेशालय स्थापित होने के पश्चात पशु, लघु पशु, मछली, कुक्कुट, डेरी, गौशाला, रोग नियंत्रण एवं बचाव कार्य हेतु विभिन्न पदों की स्थापना की गई। वर्ष 1945 से वैक्सीन एवं सीरम के निर्माण हेतु बी०पी० सेक्शन एवं कृत्रिम गर्भाधान व बांझपन हेतु ऐनीमल जेनेटिस्ट की नियुक्ति की गई व वर्ष 1946 में माधुरी कुण्ड (मथुरा) क्षेत्रीय पशुधन अनुसंधान केन्द्र खोला गया। 1947 में वेटनरी प्रेक्टिशनर के पंजीकरण हेतु यू०पी० वेटनरी कौन्सिल एक्ट पारित किया गया। वर्ष 1953 में गौ संवर्धन इनक्वायरी कमेटी का गठन किया गया, जिसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम 1955 अस्तित्व में आया। आने वाले समय की मांग को देखते हुए क्रमशः 1947 एवं 1960 में पशु चिकित्सा विभाग एवं पशुपालन महाविद्यालय मथुरा एवं पन्तनगर (नैनीताल) की स्थापना की गई, जिसके अन्तर्गत 4 वर्षीय बी०वी०एस०सी० तथा 2 वर्षीय एम०वी०एस०सी० पाठ्यक्रमों की शुरुआत हुई।

वर्ष 1964 में यू०पी० लाइवस्टॉक डेवलपमेंट एक्ट, यू०जी० गौशाला एक्ट, पारित किये गये एवं इसके अतिरिक्त यू०पी० काउन्सिलेटर नियम बनाये गये।

उत्तर प्रदेश लखनऊ में स्थित पशु पालन निदेशालय में सर्वप्रथम निदेशक की सहायता हेतु अपर निदेशक, मुख्यालय, लघु पशु, की विलेज स्कीम, रिन्डरपेस्ट बनाये गये इसके अतिरिक्त, पशुपालन अनुभाग, सामान्य अनुभाग, आडिट एवं लेखा, स्थापना योजना, सांख्यिकी, पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र स्थापित किये गये। पशुधन विकास के अन्तर्गत नस्ल सुधार को ध्यान में रखते हुए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कालसी फार्म देहरादून तथा चकगंजरिया फार्म (लखनऊ) पर यह योजना चलायी गई एवं निदेशक के नियंत्रण में आटा (जालौन) तथा (मथुरा) में बुल रियरिंग फार्म स्थापित किये गये और ग्रामीण जनपदों को लाभ देने के लिए राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र पशुपालन विभाग के अन्तर्गत 14 प्रक्षेत्रों पर काम किया गया, जिसमें उत्तराखण्ड राज्य में पशुपालन विभाग केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केन्द्र पशुलोक ऋषिकेश एवं राजकीय पशुधन एवं दुग्धशाला प्रक्षेत्र कालसी देहरादून स्थापित हुए।

पशुधन विकास की गति को बेहतर बनाने के लिए प्रशासनिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु प्रदेश को 9 सलों में बांटा गया, प्रत्येक सिल में उप निदेशक, परिवर्तित पदनाम अपर निदेशक, पशुपालन विभाग की नियुक्ति कर उनके कार्यालय की स्थापना की गई, उत्तराखण्ड राज्य में 2 सलि (मण्डल) निम्नवत कार्यरत है।

1— अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

2— अपर निदेशक पशुपालन विभाग कुमायूँ मण्डल नैनीताल।

पशुपालन विभाग के कार्यों को समुचित गति देने के लिए जनपद स्तर पर प्रत्येक जनपद में जिला पशुधन अधिकारी परिवर्तित पदनाम मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के पदों का सृजन किया गया। उत्तराखण्ड राज्य के पृथक होने से वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में 13 मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कार्यरत हैं, जिनमें से 7 गढ़वाल मण्डल एवं 6 कुमायूँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत है।

22 दिसम्बर 2009 को स्वीकृत पुर्नगठन ढांचे के आधार पर पशुपालन विभाग का पुनर्गठित ढांचा

क्र० स०	पदनाम	स्वीकृत पद	वर्तमान वेतनमान	नया वेतनमान/लेवल
1	पशु चिकित्सा संवर्ग निदेशक	01	वेतन बैंड-4 37400-67000 (ग्रेड-पे-10000)	वेतनमान 144200-218200 लेवल-15
2	अपर निदेशक	04	वेतन बैंड-4 37400-67000 (ग्रेड-पे-8700)	वेतनमान 123100-215900 लेवल-13
3	संयुक्त निदेशक (मुख्यालय)/ समतुल्य	36	वेतन बैंड-3 15600-39100 (ग्रेड-पे-7600)	वेतनमान 78800-209200 लेवल-12
4	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी / समतुल्य	150	वेतन बैंड-3 15600-39100 (ग्रेड-पे-6600)	वेतनमान 67700-208700 लेवल-11
5	पशु चिकित्साधिकारी	314	वेतन बैंड-3 15600-39100 (ग्रेड-पे-5400)	वेतनमान 56100-177500 लेवल-10
	योग	505		
6	सांख्यिकी संवर्ग उप निदेशक	01	वेतन बैंड-3 15600-39100 (ग्रेड-पे-6600)	वेतनमान 67700-208700 लेवल-11
7	सांख्यिकीय अधिकारी / संख्याविद	02	वेतन बैंड-3 15600-39100 (ग्रेड-पे-5400)	वेतनमान 56100-177500 लेवल-10
8	संख्याधिकारी	01	वेतन बैंड-3 15600-39100 (ग्रेड-पे-5400)	वेतनमान 56100-177500 लेवल-10
9	अपर सांख्यिकीय अधिकारी / अपर शोध अधिकारी	19	वेतन बैंड-2 9300-34800 (ग्रेड-पे-4200)	वेतनमान 44900-142400 लेवल-07
10	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी / सहायक शोध अधिकारी	28	वेतन बैंड-2 9300-34800 (ग्रेड-पे-4200)	वेतनमान 35400-112400 लेवल-06
11	निरीक्षक	01	वेतन बैंड-2 9300-34800 (ग्रेड-पे-4200)	वेतनमान 35400-112400 लेवल-06
12	संगणक / डाटा इन्ट्री आपरेटर	04	वेतन बैंड-2 9300-34800 (ग्रेड-पे-4200)	वेतनमान 35400-112400 लेवल-06
	योग	56		
13	चारा संवर्ग ज्येष्ठ शोध अधिकारी	01	वेतन बैंड-3 15600-39100 (ग्रेड-पे-6600)	वेतनमान 67700-208700 लेवल-11
14	चारा विकास अधिकारी	03	वेतन बैंड-3 15600-39100 (ग्रेड-पे-5400)	वेतनमान 56100-177500 लेवल-10
15	चारा सहायक ग्रुप-1	06	वेतन बैंड-2 9300-34800 (ग्रेड-पे-4200)	वेतनमान 35400-112400 लेवल-06
16	चारा सहायक ग्रुप-2	06	वेतन बैंड-2 9300-34800 (ग्रेड-पे-2800)	वेतनमान 29200-92300 लेवल-05
17	चारा सहायक ग्रुप-3	06	वेतन बैंड-1 9300-34800 (ग्रेड-पे-2000)	वेतनमान 25500-81100 लेवल-04
	योग	22		
18	वैयक्तिक सहायक संवर्ग मुख्य वैयक्तिक अधिकारी	01	वेतन बैंड-3 15600-39100 (ग्रेड-पे-5400)	वेतनमान 56100-177500 लेवल-10
19	वरिष्ठ वैयक्तिक अधिकारी	02	वेतन बैंड-2 9300-34800 (ग्रेड-पे-4800)	वेतनमान 47600-151100 लेवल-08
20	वैयक्तिक अधिकारी	03	वेतन -02 9300-34800 (ग्रेड-पे-4600)	वेतनमान 44900-142400 लेवल-07
21	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	08	वेतन बैंड-2 9300-34800 (ग्रेड-पे-4200)	वेतनमान 35400-112400 लेवल-06

	वैयक्तिक सहायक	11	वेतन बैंड-1 5200-20200(ग्रेड-पे-2800)	वेतनमान 29200-92300 लेवल-05
	योग	25		
22	मिनिस्ट्रियल संवर्ग मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	13	15600-39100 ग्रेड पे 5400 (वेतन बैंड-3)	वेतनमान 56100-177500 लेवल-10
23	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	16	वेतन बैंड-2 9300-34800 (ग्रेड-पे-4800)	वेतनमान 47600-151100 लेवल-08
24	प्रशासनिक अधिकारी	18	वेतन बैंड-2 9300-34800(ग्रेड-पे-4600)	वेतनमान 44900-142400 लेवल-07
25	प्रधान सहायक	40	वेतन बैंड-2 9300-34800(ग्रेड-पे-4200)	वेतनमान 35400-112400 लेवल-06
26	वरिष्ठ सहायक	61	वेतन बैंड-1 5200-20200(ग्रेड-पे-2800)	वेतनमान 29200-92300 लेवल-05
27	कनिष्ठ सहायक	69	वेतन बैंड-1 5200-20200(ग्रेड-पे-2000)	वेतनमान 21700-69100 लेवल-03
	योग	217		
28	लेखा संवर्ग वरिष्ठ वित्त अधिकारी	01	वेतन बैंड-3 15600-39100 (ग्रेड-पे-6600)	वेतनमान 67700-208700 लेवल-11
29	सहायक लेखाधिकारी	03	वेतन बैंड-2 9300-34800 (ग्रेड-पे-4800)	वेतनमान 47600-151100 लेवल-08
30	लेखाकार	18	वेतन बैंड-2 9300-34800(ग्रेड-पे-4200)	वेतनमान 35400-112400 लेवल-06
31	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक / लेखा परीक्षक	3	वेतन बैंड-2 9300-34800(ग्रेड-पे-4200)	वेतनमान 35400-112400 लेवल-06
32	सहायक लेखाकार	19	वेतन बैंड-1 5200-20200(ग्रेड-पे-2800)	वेतनमान 29200-92300 लेवल-05
	योग	44		
33	पशुचिकित्सा फार्मसिस्ट सेवा संवर्ग मुख्य पशुचिकित्सा फार्मासिस्ट अधिकारी	26	वेतन बैंड- 2 9300-34800(ग्रेड-पे-4200)	वेतनमान 56100-177500 लेवल-10
34	पशुचिकित्सा फार्मसी अधिकारी	332	वेतन बैंड-2 9300-34800(ग्रेड-पे-4200)	वेतनमान 35400-112400 लेवल-06
	योग	358		
35	पशुधन प्रसार अधिकारी संवर्ग मुख्य प्रसार अधिकारी / क्षेत्र प्रबन्धक	13	वेतन बैंड-2 9300-34800(ग्रेड-पे-4200)	वेतनमान 47600-151100 लेवल-8
36	क्षेत्र प्रसार अधिकारी (पशुधन) / ज्येष्ठ प्रसार अधिकारी (कुक्कुट) पूर्व पदनाम ज्येष्ठ कुक्कुट निरीक्षक	118	वेतन बैंड-2 9300-34800 (ग्रेड-पे-4200)	वेतनमान 44900-142400 लेवल-8
37	पशुधन प्रसार अधिकारी	879	वेतन बैंड-1 9300-34800(ग्रेड-पे-2800)	वेतनमान 35400-112400 लेवल-06
	योग	1010		
38	प्रयोगशाला सहायक संवर्ग प्रयोगशाला सहायक-1	3	वेतन बैंड-1 5200-20200 (ग्रेड-पे-2800)	वेतनमान 35400-112400 लेवल-06
39	प्रयोगशाला सहायक	14	वेतन बैंड-1 5200-20200 (ग्रेड-पे-2000)	वेतनमान 29200-92300 लेवल-05
	योग	17		
40	विपणन सेवा संवर्ग ऊन विश्लेषण / प्रभारी अधिकारी	02	वेतन बैंड-3 15600-39100 (ग्रेड-पे-5400)	वेतनमान 56100-177500 लेवल-10
41	सहायक ऊन विश्लेषण अधिकारी	01	वेतन बैंड-2 9300-34800(ग्रेड-पे-4600)	वेतनमान 35400-112400 लेवल-07
42	भण्डार पर्यवेक्षक / बिन विपणन पशुधन क्रय विक्रय निरीक्षक / ऊन विश्लेषक	02	वेतन बैंड-2 9300-34800(ग्रेड-पे-4200)	वेतनमान 35400-112400 लेवल-06
43	स्नातक सहायक	2	वेतन बैंड-1 5200-20200 ग्रेड पे 2800	वेतनमान 29200-92300 लेवल-05

	योग	7		
44	वाहन चालक संवर्ग वाहन चालक ग्रेड-1	42	वेतन बैंड-1 5200-20200(ग्रेड-पे-2000)	वेतनमान 21700-69100 लेवल-03
	योग	42		
	ट्रेक्टर ऑपरेटर (मृत संवर्ग)	01		
	प्लानट ऑपरेटर (मृत संवर्ग)	03		
	योग	04		
	वैक्सीनेटर संवर्ग			
45	वैक्सीनेटर	296	वेतन बैंड-1 5200-20200(ग्रेड-पे-2000)	वेतनमान 21700-69100 लेवल-03
	योग	296		
	चतुर्थ श्रेणी संवर्ग (मृत संवर्ग)			
46	दफ्तरी/पावर टिलर चालक/जल फीटर/पम्प ड्राइवर/कारपेन्टर/ड्रैसर	31	4440-7440 ग्रेड पे 1650	वेतनमान 18000-56900 लेवल-01
47	अन्य चतुर्थ श्रेणी ऊन शियरर/पशुधन सहायक/अनुसेवक	885	4440-7440 ग्रेड पे 1300	वेतनमान 18000-56900 लेवल-01
	योग	916		
	सम्पूर्ण योग	3519		

पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की स्थिति।

क्र.सं.	समूह	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
1	क	194	187	07
2	ख	512	455	57
3	ग	1897	1229	668
4	घ	916	626	290
	योग	3519	2497	1022

क्र० सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	वेतनमान	मोबाइल न०	ईमेल
1	डा० उदय शंकर	निदेशक	लेवल 13	9412038233	
2	डा० विद्या सागर कापड़ी	संयुक्त निदेशक	लेवल-13	9568482843	
3	डा० राकेश सिंह नेगी	संयुक्त निदेशक	लेवल-13	9412055958	
4	डा० जगमोहन सिंह असवाल	संयुक्त निदेशक	लेवल-12	9412142971	
5	डा० सुनील कुमार अवस्थी	संयुक्त निदेशक	लेवल 13	9368036230	
6	डा० सुनील कुमार बिन्जोला	संयुक्त निदेशक	लेवल 13	9412984780	
7	डा० नारायण सिंह नेगी	संयुक्त निदेशक	लेवल-13	9412120116	
8	डा० अशोक लीलाधर बिष्ट	संयुक्त निदेशक	लेवल-13	8077847425	
9	डा० हरेन्द्र कुमार	संयुक्त निदेशक	लेवल-13	8937000914	
10	डा० अशोक कुमार	संयुक्त निदेशक	लेवल-12	9837088670	
11	डा० प्रलयकरनाथ	रजिस्ट्रार	लेवल-12	8937001275	
12	डा० उदय शंकर गुप्ता	उप निदेशक	लेवल-12	9756457165	
13	डा० पूजा कुकुरेती	उप निदेशक	लेवल 12	8171016961	
14	डा० उर्वशी	उप निदेशक	लेवल 12	9568866656	

15	डा०अमित कुमार राय	उप निदेशक	लेवल 12	8979006501	
16	डा०दिनेश कुमार शर्मा	उप निदेशक	लेवल 12	9458158310	
17	डा०शिवानन्द पाठक	उप निदेशक	लेवल 12	9412601817	
18	डा०सतीश चन्द्रा	उप निदेशक	लेवल 12	9456828069	
19	डा०दिनेश चन्द्र सेमवाल	उप निदेशक	लेवल 12	9412921172	
20	डा०गबर सिंह बिष्ट	उप निदेशक	लेवल 12	9759839211	
21	डा०कंचन पांगती	उप निदेशक	लेवल 12	9458123008	
22	डा०मनीष	उप निदेशक	लेवल 12	9759555822	
23	डा०पूर्णमा बनौला	उप निदेशक	लेवल 12	8006578369	
24	डा०राजाबाबू गुप्ता	उप निदेशक	लेवल 12	9411010563	
25	डा० राकेश नौटियाल	पशुचिकित्सा अधिकारी	लेवल 11	9412047125	
26	श्रीमती विदुषी भट्ट जोशी	वरिष्ठ वित्त अधिकारी	लेवल 11	9897856792	
27	श्री हेम चन्द्र पाठक	अपर सांख्यिकी अधिकारी	लेवल 11	9411106569	
28	डा० मनोज डबराल	वरिष्ठ शोध अधिकारी	लेवल-11	9917958504	
29	डा०छवि चौधरी	पशुचिकित्सा अधिकारी	लेवल-10	9639951536	
30	डा०अर्चना सर्राफ	पशुचिकित्सा अधिकारी	लेवल-10	9410579297	
31	डा०रेनु चौहान	पशुचिकित्सा अधिकारी	लेवल-10	8265865207	
32	डा०ममता आर्या	पशुचिकित्सा अधिकारी	लेवल-10	7579033378	
33	डा०दीक्षा रावत	पशुचिकित्सा अधिकारी	लेवल-10	9410908266	
34	डा०शिखाकृति नेगी	पशुचिकित्सा अधिकारी	लेवल-10	9720628608	
35	डा०अर्शदा खानम	पशुचिकित्सा अधिकारी	लेवल-10	9639825372	
36	श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	लेवल 10	9411193150	
37	श्री मोहन सिंह पंचपाल	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	लेवल-10	9410114109	
38	श्रीमती कल्पेश्वरी भट्टेथी	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	लेवल-10	8755641763	
39	श्री गोकुल राम	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	लेवल 8	9410145506	
40	श्री वीरेन्द्र प्रसाद गैरोला	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	लेवल 8	9412104667	
41	श्री जगदीश प्रसाद पुरोहित	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	लेवल 8	9410550631	
42	श्री उत्तम सिंह राणा	सहायक लेखाधिकारी	लेवल 8	9897737037	
43	श्री अनिल सिंह परमार	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	लेवल 8	9410378577	
44	श्रीमती रश्मि कुकशाल	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	लेवल 8	8937000906	
45	श्री सतीश कुमार बडोनी	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	लेवल 8	9897466771	
46	श्री अजय प्रसाद बधानी	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	लेवल 8	9412914130	
47	श्रीमती दीपिका कोटियाल	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	लेवल 8	7579000628	
48	श्रीमती शिखा रावत	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	लेवल 7	9897323674	
49	श्रीमती संगीता भारती	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	लेवल-7	8937777908	
50	श्री काशीराम रतूड़ी	प्रशासनिक अधिकारी	लेवल-7	9058814860	
51	श्री सतपाल सिंह	वाहन चालक	लेवल-7	9411717378	
52	श्री रामस्वरूप नौटियाल	वाहन चालक	लेवल-7	9997973959	
53	श्री सुशील चन्द्र बिजल्वाण	व्यक्तिक अधिकारी	लेवल-7	9411171698	
54	श्री सूर्य प्रकाश उनियाल	प्रशासनिक अधिकारी	लेवल-7	8449894739	
55	श्री कलुदीप सिंह भण्डारी	प्रशासनिक अधिकारी	लेवल-7	9627406653	
56	श्रीमती उषा उपाध्याय	प्रधान सहायक	लेवल-6	9411194928	
57	श्री राजेन्द्र सिंह सोनाल	प्रधान सहायक	लेवल-6	8171125268	
58	श्री उजैर अहमद	प्रधान सहायक	लेवल-6	8126566303	
59	श्रीमती विद्या सती	प्रधान सहायक	लेवल-6	8755596964	
60	श्री राहुल रावत	प्रधान सहायक	लेवल-6	8650363435	
60	श्री विनीत कुमार	वरिष्ठ सहायक	लेवल-5	9756818044	
62	श्री मनोज नैनवाल	वरिष्ठ सहायक	लेवल-5	9718209111	

63	श्री गोविन्द सिंह	वरिष्ठ सहायक	लेवल-5	7500996432	
64	श्रीमती नीलम बहुगुणा	सहायक लेखाकार	लेवल-5	9627849704	
65	श्री दिनेश रावत	वरिष्ठ सहायक	लेवल-5	8057415373	
66	श्री महेश्वर कान्त रवि	वरिष्ठ सहायक	लेवल-5	8273072317	
67	श्री गौरव इष्टवाल	वरिष्ठ सहायक	लेवल-5	9675191310	
68	श्रीमती अंजली उनियाल	वरिष्ठ सहायक	लेवल-5	7830049057	
69	श्री सौरभ कुमार	वरिष्ठ सहायक	लेवल-5	9012047055	
70	श्री अनुज रमोला	सहायक लेखाकार	लेवल-5	9675588271	
71	श्री गंगालाल	कनिष्ठ सहायक	लेवल-4	7983291166	
72	श्री श्याम सिंह	अनुसेवक	लेवल-4	7579249118	
73	श्रीमती रीता भण्डारी	कनिष्ठ सहायक	लेवल-3	7017434710	
74	श्री देवेन्द्र सिंह	कनिष्ठ सहायक	लेवल-3	9720983240	
75	श्रीमती लक्ष्मी	कनिष्ठ सहायक	लेवल-3	7409835707	
76	श्रीमती रागिनी गुप्ता	कनिष्ठ सहायक	लेवल-3	8808794286	
77	श्री सुमित कुमार	कनिष्ठ सहायक	लेवल-3	9997138613	
78	श्री संजय परमार	कनिष्ठ सहायक	लेवल-3	9536623028	
79	आरुषी नैथानी	कनिष्ठ सहायक	लेवल-3	6395019587	
80	श्री अमन पाल	कनिष्ठ सहायक	लेवल-3	7983765545	

1.2 संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य

The particulars of its Organization, Functions and duties

वर्ष 2019 की पशुगणना के अनुसार प्रदेश में उपलब्ध कुल पशु सम्पदा 44.27 लाख व कुक्कुट सम्पदा 50.19 लाख है। राज्य सरकार पशुपालन विभाग के माध्यम से इस बात के लिये प्रयत्नशील है कि राज्य में उपलब्ध समस्त पशु एवं कुक्कुट पक्षियों का विकास इस दृष्टि से किया जाय कि पशुपालक, कृषक व पिछड़े वर्ग के परिवारों को रोजगार के उत्तम साधन उपलब्ध हो सकें और वे आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बन सकें इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उत्तराखण्ड की विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों, उपलब्ध संसाधनों में अंतर तथा पर्यावरणीय संतुलन को दृष्टिगत रखते हुये पशुधन उत्पादन में वृद्धि एवं उसके पोषण, सुरक्षा तथा रख-रखाव की सुनिश्चित करने हेतु उत्तरांचल प्रजनन, नीति 2005 प्रख्यापित की जा चुकी है। पशुधन के उन्नत नस्लों के संरक्षण, संवर्धन, स्वास्थ्य एवं विकास कार्यक्रमों को सर्वाधिक महत्व देते हुये विभाग तथा विभिन्न परिषदों (उत्तराखण्ड लाईव स्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड, शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड, राज्य पशु कल्याण बोर्ड, उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा परिषद, गो सेवा आयोग) के माध्यम से राज्य स्तर से ग्राम स्तर तक आधुनिकतम विधि अपनाकर विभिन्न योजनाओं का संचालन पशुपालक के द्वार तक किया जा रहा है।

कृत्य और कर्तव्य :-

राज्य (विभागाध्यक्ष) स्तर पर :-

- 1-पशु चिकित्सा सम्बन्धी, नीति निर्धारण।
- 2-पशु सम्पदा जिसमें कुक्कुट भी सम्मिलित है, विकास के सम्बन्ध में भावी योजना तैयार करना।
(अ) पशु औषधि साज सज्जा उपकरण आदि की पशु चिकित्सा संस्थाओं को उपलब्धता का अनुश्रवण सुनिश्चित करने के लिये नीति तैयार करना विनियमन करना।
(ब) विभागीय कार्य कलापों के निष्पादन व अनुश्रवण हेतु आवश्यक मानव संसाधन की व्यवस्था, विनियमन व मार्ग प्रशस्त करना।
- 3-नस्ल सुधार कार्यक्रम को आधुनिकतम विधि तथा क्षेत्रीय आवश्यकता अनुरूप संचालन करने हेतु अनुसंधान करना व उसे प्रोन्नत करना।
- 4-विस्तार कार्यक्रमों की प्रोन्नति, ऋण वितरण व अनुसंधान आदि कार्य हेतु निजी क्षेत्र, गैर सरकारी एजेंसी व अनुसंधान संस्थान की भागीदारी का प्रयास करना।
- 5-पशुधन विकास के माध्यम से रोजगार सृजन व गरीबी उन्मूलन गतिविधियों को बढ़ावा देना व प्रोन्नत करना।
- 6-पशुधन उत्पादन प्रसंस्करण व विपणन की स्थापना व विस्तार हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना।
- 7-पशु चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं प्रोन्नति करना।
- 8-पशु चारा एवं संतुलित पशु आहार उत्पादन के कार्यक्रमों की प्रोन्नति हेतु नीति निर्धारित करना।
- 9-राज्य सेक्टर-केन्द्र पोषित व वाह्य सहायतार्थ योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता हेतु परियोजनायें प्रस्तुत करना।
- 10-विभागीय भवनों तथा अन्य परिसम्पत्तियों के रख-रखाव के सम्बन्ध में धनराशि के आवंटन हेतु नीति निर्धारण व धनराशि की व्यवस्था कराना।
- 11-शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन:- मानव संसाधन विकास (कम्प्यूटर व अनुप्रयोग सूचना तकनीकी)।

मंडल (अपर निदेशक) स्तर पर :-

पूर्व से चली आ रही मण्डलीय व्यवस्था के अन्तर्गत अपने-अपने मण्डलों के अन्तर्गत आने वाले जनपदों के मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों के ऊपर आवश्यक प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण रखना। विभागीय कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण, निरीक्षण करना एवं प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत अधीनस्थ कार्यलय हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां प्रदान करना तथा मण्डल स्तर पर आयुक्त को विभागीय कार्यक्रमों की आवश्यक जानकारी एवं बैठकों आदि में विभागीय प्रतिनिधित्व करना।

जिला (मुख्य पशुचिकित्साअधिकारी) स्तर पर :-

- 1-जनपद स्तर पर पशुपालन हेतु योजना तैयार करना, कार्यान्वित करना और उनका पर्यवेक्षण करना।
- 2-पशु चिकित्सालयों की स्थापना रख-रखाव व प्रबन्धन।
- 3-‘द’ श्रेणी पशु औषधालयों व पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना रख-रखाव व प्रबन्धन।
- 4-कृत्रिम गर्भाधान तथा नैसर्गिक अभिजनन द्वारा स्थानीय पशुओं की नस्ल सुधार।
- 5-डेयरी, कुक्कुट, सूकर, भेड़, बकरी आदि अन्य स्थानीय पशुओं की नस्ल सुधार हेतु कार्यक्रम चलाना।
- 6-पशुओं के संक्रामक रोगों महामारी के बचाव हेतु समयबद्ध कार्यक्रमानुसार टीकाकरण अभियान चलाना महामारी का निवारण तथा नियंत्रण।
- 7-संतुलित आहार व चारा घास क्षेत्रों का विकास।
- 8-कृषकों पशुपालकों एवं अन्य उपभोक्ता समुदाय को प्रशिक्षण।

9—भेड़, बकरी, सूकर आदि प्रक्षेत्रों का विकास एवं प्रोन्नति तथा पशुपालन से सम्बन्धित योजनाओं का प्रसार एवं प्रचार, गोष्ठियों का आयोजन।

10—विभागीय परिसम्पत्तियों एवं भवनों का अनुश्रवण एवं अवस्थापना सुविधाओं का विकास।

विकास खण्ड (पशुचिकित्सालय) स्तर पर :-

1—विभाग द्वारा संचालित समस्त कार्यक्रमों का कार्यान्वयन यथा—

1. पशु चिकित्सा एवं पशु सम्पदा का विकास।
 2. पशुओं एवं कुक्कुट में महामारी व छूत के रोगों का निवारण एवं नियंत्रण।
 3. सघन पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा पशुपालक के द्वार पर उपलब्ध कराना।
 4. चारा एवं घास उत्पादन के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।
- 2— परिसम्पत्तियों एवं भवनों का रख-रखाव।

ग्राम (क्षेत्र प्रसार अधिकारी /पशुधन प्रसार अधिकारी) स्तर पर :-

1—विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों का ग्राम्य स्तर पर कार्यान्वयन यथा पशुपालक विभाग की योजनाओं का प्रचार—प्रसार।

- प्रारम्भिक पशुचिकित्सा एवं पशु सम्पदा का विकास।
 - पशुओं एवं कुक्कुट पक्षियों में महामारी व छूत रोगों के निराकरण हेतु समयवद्ध कार्यक्रमानुसार टीकाकरण।
 - पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम, पशु पालक के द्वार पर जाकर कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु गर्भित करना।
 - चारा विकास कार्यक्रम का सघनीकरण हेतु चारा बीज व चारा मिनीकिट्स का प्रदर्शन करना, प्रोत्साहित करना।
- 2—परिसम्पत्तियों एवं भवनों का रख-रखाव।

1.3 राज्य की पशुपालन नीति के सम्पादन हेतु कार्यरत योजनाएं

➤ नस्ल सुधार एवं उत्पादकता वृद्धि ।

- वर्तमान कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का सुदृढीकरण एवं स्थापना (जिला सेक्टर,राज्य सेक्टर योजना, केन्द्र सरकार)
- पर्वतीय क्षेत्र में प्राकृतिक गर्भाधान बाँझपन निवारण हेतु शिविरों का आयोजन (जिला सेक्टर योजना)।

➤ लुप्त हो रही पशुओं के नस्लों का संरक्षण ।

- भारत सरकार द्वारा सहायित रेड सिन्धी के संरक्षण की योजना यू.एल.डी.बी. द्वारा संचालित की जा रही है।
- जनपद चम्पावत के नरियालगॉव में गाय की स्थानीय प्रजाति बद्री गाय के संरक्षण एवं समर्थन हेतु योजना संचालित की जा रही है। ।

➤ चिकित्सकीय व्यवस्था विस्तार/गुणात्मक पशुधन निवेशों की आपूर्ति।

- पशुचिकित्सालय एवं पशु सेवा केन्द्रों में अतिरिक्त दवा, साज-सज्जा की व्यवस्था (जिला सेक्टर योजना) ।
- पर्वतीय क्षेत्र में चारा विकास कार्यक्रम का सघनीकरण एवं विकास (राज्य सेक्टर)
- पशुओं/भेड़ों का परजीवी कीटाणुओं से बचाव हेतु सामूहिक रूप से औषधि पिलाने की योजना (जिला सेक्टर योजना) ।
- दुग्ध मार्गों पर उपलब्ध पशुओं को अतिरिक्त पशुचिकित्सा सुविधा प्रदान करना (जिला सेक्टर योजना) ।
- चारा विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राज्य को सहायता (के०पो०)।
- वर्तमान पशुचिकित्सालयों/पशु औषधालयों की स्थापना व सुदृढीकरण (के०पो०)।

➤ पशुधन विकास हेतु विभागीय स्तर पर पशुगणना ।

- 19वीं पशुगणना (100 प्रतिशत केन्द्र पोषित) का कार्य सम्पन्न एवं वर्ष 2020-21 में 20 वीं पशुगणना का कार्य पूर्ण हो चुका है।

➤ पशु चिकित्सा परिषद का गठन ।

- उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद का गठन (50 प्रतिशत केन्द्र पोषित)।
- पशुचिकित्सा क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं सेवारत पशुचिकित्साविदों एवं अन्य कार्मिकों को आधुनिक तकनीकों/कौशलता विकास हेतु प्रशिक्षण।

➤ प्रचार—प्रसार ।

- ग्राम्य विकास और प्रसार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदर्शनियों का आयोजन।

➤ पशुधन उत्पाद एवं प्रजनन सूचनाओं का संकलन एवं विश्लेषण ।

- पशुजन्य उत्पाद के अनुमान निकालने हेतु पशुपालन विभाग के अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्यक्रम का सुदृढीकरण एवं निदेशालय स्तर पर एक सांख्यिकीय प्रकोष्ठ की स्थापना (50 प्रतिशत केन्द्र पोषित) ।
- **संक्रामक तथा संसर्गीय रोगों के विरुद्ध सुरक्षात्मक रणनीति ।**
 - पशुओं के रोगों पर नियंत्रण हेतु वैक्सीन की व्यवस्था (जिला सेक्टर योजना) ।
 - आर0पी0 एवं पी0पी0आर0 रोग पर नियंत्रण की योजना (100 प्रतिशत केन्द्र पोषित)
 - रोगों पर नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता (ASCAD) (90:10 प्रतिशत केन्द्र पोषित)
 - मोबाइल वेटनरी यूनिट (MVU) (90:10 प्रतिशत केन्द्र पोषित)
 - रोगों पर नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता (NADCP) (100 प्रतिशत केन्द्र पोषित)

1.4 पशुपालन विभाग, के अन्तर्गत ग्राम्य स्तर तक चलाये जा रहे विभागीय कार्यक्रमों का विवरण

पशु चिकित्सा रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत 330 पशुचिकित्सालयों, 10 'द' श्रेणी पशुचिकित्सालय तथा 779 पशु सेवा के माध्यम से पशुओं के स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण हेतु विभिन्न सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं।

पशु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभागीय कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों व विभाग द्वारा सहायित बायफ एवं मैत्री स्वरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं के माध्यम से गौ एवं महिषवंशीय तथा बकरियों बकरी प्रजाति के पशुओं को उन्नत प्रजनन की सुविधायें पशुपालक के द्वार पर अनवरत रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं।

दूरस्थ एवं दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों जहाँ पर वर्तमान में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा सुलभ नहीं है, उन्नत किस्म के गौ एवं महिषवंशीय सांडों का वितरण कर चयनित पशुपालक के माध्यम से (अतिरिक्त रोजगार/आय उपलब्ध कराते हुये) पशुप्रजनन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उत्तरांचल लाईवस्टॉक डेबलपमेंट बोर्ड द्वारा गौ एवं महिषवंशीय सांडों का वितरण किया जाता है दुधारू पशुओं में बांझपन निवारण हेतु बांझपन शिविरों का आयोजन कर बांझ गौ एवं महिषवंशीय पशुओं का चिकित्सा कार्यक्रम। दुग्ध समिति के मार्गों पर उपलब्ध पशुओं को उनके द्वार पर ही चिकित्सा, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

कुक्कुट विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र पशुलोक, ऋषिकेश, जिला, देहरादून, हवालबाग, जिला अल्मोडा, विण, जिला, पिथौरागढ़, कोटद्वार, जिला, पौड़ी, बहादुराबाद, जिला, हरिद्वार, रुद्रपुर, जिला, ऊधमसिंह नगर तथा पीपलकोटी, जिला, चमोली द्वारा उत्पादित उन्नत प्रजाति के द्विकाजी (क्रायलर)/ब्रायलर पक्षियों का वितरण तथा ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले/निर्धन परिवारों की आर्थिक दशा में सुधार लाने हेतु बैकयार्ड (50 कुक्कुट पक्षियों की) तथा मदर पोल्ट्री कुक्कुट इकाई की स्थापना कार्यक्रम।

भेड़ एवं ऊन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभाग तथा उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के माध्यम से निम्न कार्यक्रमका संचालन किया जा रहा है—

1. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम
2. नस्ल सुधार कार्यक्रम।
3. उत्पादकता विकास कार्यक्रम।
4. भेड़ों की ऊन कतरन से पूर्व नहलाया जाना/शियरिंग मशीन द्वारा ऊन कतरन।
5. उत्पादित होने वाली ऊन की ग्रेडिंग (श्रेणीकरण) व विपणन में सहायता।
6. प्रशिक्षण कार्यक्रम।
7. स्वयं सहायता समूहों तथा गैर राजकीय संस्थाओं का चयन/गठन/एक दिवसीय भेड़पालन गोष्ठियां/ एक दिवसीय भेड़ प्रदर्शनियों का आयोजन।
8. बहुउद्देशीय सेवा केन्द्रों के माध्यम से भेड़ पालकों को अतिरिक्त सुविधायें।

अंगोरा शशक पालन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के अंगोरा शशक प्रक्षेत्र ग्वालदम (चमोली), कोपडधार, (टिहरी) व चम्पावत द्वारा उत्पादित शशक शावक का वितरण तथा इच्छुक उद्यमियों को शशक पालन में प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम।

अंगोरा बकरी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राजकीय अंगोरा बकरी प्रक्षेत्र ग्वालदम द्वारा उत्पादित अंगोरा बकरी का उचित मूल्य पर वितरण।

सूकर विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दो राजकीय सूकर प्रक्षेत्र कमशः—पशुलोक—श्यामपुर (देहरादून) व काशीपुर (ऊधमसिंह नगर) द्वारा उत्पादित उन्नत विदेशी नस्ल (लार्ज व्हाइट या शायर) की प्रजातियों के सूकर/शावकों का इच्छुक लाभार्थियों को उचित मूल्य पर वितरण।

चारा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत (जिला योजना) विभिन्न फसल चकानुसार (रबी, जायद व खरीफ) उन्नत चारा बीज/जड़ों का वितरण तथा भारत सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराये गये चारा मिनीकिट्स का प्रदर्शन पशुपालकों

के पास उपलब्ध सीमित भूमि को ध्यान में रखकर कराया जा रहा है ताकि पशुपालकों इस कार्यक्रम के प्रति जागरूक किया जा सके।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु स्वरोजगारपरक कुक्कुट/गौ पालन पालन/भेड़ पालन/बकरी पालन इकाई योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कुक्कुट/गौ पालन पालन/भेड़ पालन/बकरी पालन (बकरी पालन सामान्य को भी देय है) इकाईयों की स्थापना की योजनाएं चलाई जा रही हैं।

पशुधन बीमा योजना उत्तराखण्ड राज्य के सभी जनपदों में संचालित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य पशुओं की दुर्घटना, मृत्यु व अन्य अप्रत्याशित क्षति होने पर पशुपालकों को उससे होने वाली अपूर्णीय क्षति से बचाना है। एक पशुपालक के अधिकतम 5 बड़े पशुओं (दुधारू गाय/भैंस, पैक एनिमल यथा घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊंट, टट्टू/अन्य पशुओं याक एवं मिथुन) अथवा 5 यूनिट छोटे पशुओं यथा-भेड़, बकरी, सुअर या खरगोश (एक यूनिट = 10 छोटे पशु) के बीमा का प्राविधान है।

1.5 पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण

1. 001 –निदेशन तथा प्रशासन–(निदेशालय अधिष्ठान)

प्रदेश के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत स्टाफ हेतु अधिष्ठान मदों एवं विभाग की विभिन्न संस्थाओं यथा 332 पशु चिकित्सालय, 778 पशु सेवा केन्द्र, 06 रोग निदान प्रयोगशालायें, 11 भेड़ प्रक्षेत्र, 113 भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र, 05 अंगोरा शशक प्रक्षेत्र में व्यवस्थित पशुधन के लिए आहार, चारा आदि की व्यवस्था तथा पशुपालकों के बहुमूल्य पशुधन की चिकित्सा आदि सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजनान्तर्गत 27570.34 लाख की धनराशि उपयोग कर निम्नानुसार भौतिक लक्ष्य प्राप्त की गई। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में योजनान्तर्गत 29037.570 लाख की धनराशि का उपयोग कर निम्नानुसार भौतिक लक्ष्य प्राप्त किये गये।

कार्यक्रम	इकाई	वर्ष 2024–25 की वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 2025–26 के लक्ष्य	वर्ष 2025–26 की उपलब्धि
पशुचिकित्सा	संख्या	35,46,059	26,00,000	3556294
बधियाकरण	संख्या	1,19,149	1,00,000	112465
कृत्रिम गर्भाधान	संख्या	8,38,233	8,50,000	844036
कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न संतति	संख्या	2,96,696	3,25,000	259687
बड़े पशुओं में दवापान	संख्या	45,95,743	42,00,000	4618180
भेड़ों में दवापान	संख्या	9,59,540	10,00,000	1263554
भेड़ों में दवास्नान	संख्या	9,04,147	10,00,000	1140892
प्रशिक्षण कार्यक्रम	संख्या	—	—	—
प्रशिक्षित कर्मिकों की संख्या	संख्या	—	—	—
प्रक्षेत्रों में पशुधन संख्या	संख्या	1265	—	1456
प्रक्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन	कि०ग्रा०	400588.344	—	40024.195
प्रक्षेत्रों में उत्पन्न संतति	संख्या	284	—	308
एक्स रे	संख्या	—	—	—
अल्ट्रासाउण्ड	संख्या	—	—	—
शल्य पशुचिकित्सा	संख्या	—	—	—

2. ब्लॉक स्तर पर विभिन्न पशुचिकित्सालयों का संचालन एवं क्रियान्वयन—

पशुचिकित्सालयों में अल्ट्रासाउण्ड आदि की आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराने तथा पशुपालकों के पशुधन को आधुनिकतम चिकित्सा प्रणाली से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में 134.49 लाख की धनराशि का उपयोग किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 में इस योजनान्तर्गत बजट उपलब्ध नहीं हुआ। वित्तीय वर्ष 2022–23 में 9.88 लाख की धनराशि का उपयोग किया गया। वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजना संचालित नहीं है।

- मदर पोल्ट्री इकाई की स्थापना—कुक्कुट पालन व्यवसाय में स्वरोजगार प्रदान करने हेतु मदर कुक्कुट इकाई की योजना राज्य सेक्टर के अन्तर्गत चलाई जा रही है के स्थान पर कुक्कुट वैली/ब्रायलर फार्म की स्थापना योजना है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजनान्तर्गत धनराशि रु. 900.00 लाख का उपयोग किया गया है।
- कृत्रिम गर्भाधान हेतु बायफ केंद्रों का संचालन—राज्य में कृत्रिम गर्भाधान हेतु नये बायफ केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजनान्तर्गत धनराशि रु. 254.82 लाख का उपयोग किया गया है।

5. **कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का प्रबन्धन तथा सीमन क्रय (नकुल स्वरस्थ पत्र, बायफ, कृत्रिम गर्भाधान प्रोत्साहन, लिंगवर्गीकृत वीर्य अनुदान)** – वित्तीय वर्ष 2025-26 में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का प्रबन्धन योजनान्तर्गत में रु0 2082.460 का प्रावधान रखा गया जिसके सापेक्ष रु0 1823.600 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई तथा रु0 1819.860 लाख की धनराशि व्यय हुआ।

6. **राज्य सेक्टर योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य (राज्य सेक्टर)–**

राज्य के अन्तर्गत संचालित विभिन्न संस्थाओं जो किराये के भवन में संचालित हैं को विभागीय भवन में व्यवस्थित करने के उद्देश्य हेतु योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में भवन निर्माण कार्य हेतु 132.76 लाख की धनराशि का उपयोग किया गया। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 183.74 लाख की धनराशि का उपयोग किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजनान्तर्गत धनराशि रु. 915.67 लाख का उपयोग किया गया है।

6. **पशुचिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों के भवन निर्माण (राज्य सेक्टर)–**

किराये में चल रही विभागीय संस्थाओं (पशुचिकित्सालयों/पशुसेवा केन्द्रों) को विभागीय भवन में संचालित करने हेतु भवन निर्माण तथा भूमि क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में भवन निर्माण कार्य हेतु 43.23 लाख की धनराशि का उपयोग किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना के तहत 76.29 लाख की धनराशि का उपयोग किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजना संचालित नहीं है। I। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के तहत धनराशि रु0 1000.00 लाख का प्रावधान रखा गया जिसके सापेक्ष रु. 887.800 लाख की धनराशि स्वीकृति प्राप्त हुई तथा रु0 887.800 लाख का उपयोग किया गया।

102-पशु एवं भैंस विकास–

7. **पशुपालकों को लिंग वर्गीकृत वीर्य हेतु अनुदान–**

राज्य में मादा पशुधन की उत्पत्ति में वृद्धि करने एवं नर पशुधन के भरण पोषण संबंधी भार को कम करने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लिंग वर्गीकृत वीर्य के मूल्य में मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा रु0 400.00 प्रति डोज अनुदान दिये जाने संबंधी घोषणा के क्रम में 04 लाख लिंग वर्गीकृत वीर्य डोज हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में योजनान्तर्गत रु0 1285.17 लाख की धनराशि का उपयोग किया गया तथा इस योजनान्तर्गत में वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 61.43 लाख (रा.से.) की धनराशि का उपयोग किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1500.00 लाख की धनराशि का उपयोग किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजनान्तर्गत धनराशि रु. 1050.00 लाख का उपयोग किया गया है।

कार्यक्रम	इकाई	वर्ष 2024-25 की वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 2025-26 के लक्ष्य	वर्ष 2025-26 की उपलब्धि
लिंग वर्गीकृत वीर्य स्ट्रा उत्पादन	संख्या	209697	3,00,000	298543
स्ट्रा वितरण	संख्या	173524	3,00,000	133890
कृत्रिम गर्भाधान	संख्या	229986	3,00,000	231374
कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न संतति	संख्या	59811	1,10,000	71703

8. **परजीवी कृमियों से बचाव–**

भारत सरकार द्वारा खुरपका-मुंहपका रोग पर वर्ष 2025 तक नियंत्रण पाना एवं वर्ष 2030 तक इस रोग का पूर्ण रूप से उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। टीकाकरण से पूर्व कृमिनाशक औषधि से बेहतर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्राप्त होने के कारण भारत सरकार द्वारा बृहद टीकाकरण से एक माह पूर्व परजीवी कृमियों से बचाव किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में योजनान्तर्गत 310.78 लाख की धनराशि का उपयोग किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 400.00 लाख की धनराशि का उपयोग किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजनान्तर्गत धनराशि रु. 499.99 लाख का उपयोग किया गया है।

9. **पैरावेट को कृत्रिम गर्भाधान प्रोत्साहन योजना–**

प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को कृत्रिम गर्भाधान में स्वरोजगार उपलब्ध कराने तथा कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से नस्ल सुधार को बढ़ावा देने हेतु प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय वर्ष

2021-22 में भी यह योजना संचालित की गई। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना में रु. 96.13 लाख धनराशि का उपयोग किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजनान्तर्गत धनराशि रु. 177.54 लाख का उपयोग किया गया है।

104-भेड़ एवं ऊन विकास-भेड़ बकरी विकास विभाग योजनान्तर्गत राज्य सैक्टर में बजट का प्रावधान 2022-23 हेतु किया गया है।

106-अन्य पशुधन विकास-

10. पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाव की योजना (राज्य सेक्टर) (औषधि आदि का क्रय- संक्रामक,परजीवी)

पशुओं में होने वाले विभिन्न संक्रामक रोगों पर यथाशीघ्र नियंत्रण पाने तथा संक्रमित रोगों से अन्य पशुओं को बचाने हेतु आवश्यक वैक्सीन आदि क्रय कर बीमारी/संक्रमण पर नियंत्रण रखने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजनान्तर्गत रु. 20.00 लाख की धनराशि का उपयोग किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना के तहत रु. 20.00 लाख की धनराशि का उपयोग किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के तहत रु. 1034.965 लाख का प्रावधान रखा गया जिसके सापेक्ष रु. 1034.965 लाख की धनराशि स्वीकृति प्राप्त हुई तथा रु. 1034.964 लाख का उपयोग किया गया।

11. गौ सदनों की स्थापना (राज्य सेक्टर) (गौसदन भरण पोषण, ग्राम गो सेवक)

राज्य में आवारा, निशक्त, बीमार ऐसे पशु जो खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं या पशुस्वामी द्वारा अनुत्पादक हो जाने की दशा में छोड़ दिये जाते हैं। यातायात बाहुल्य क्षेत्रों में इधर-उधर घूमने के कारण दुर्घटनाओं को जन्म देते हैं। ऐसे पशुओं को उचित शरणस्थली प्रदान करने हेतु गौ सेवा में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता प्रदान की जाती है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 250.00 लाख की धनराशि का उपयोग किया गया। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में रु. 1141.97 लाख की धनराशि का उपयोग किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना के तहत रु. 3450.60 लाख की धनराशि का उपयोग किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के तहत रु. 5000.00 लाख का प्रावधान रखा गया जिसके सापेक्ष रु. 3910.420 लाख की धनराशि स्वीकृति प्राप्त हुई तथा रु. 3851.440 लाख की धनराशि का उपयोग किया गया।

11. गौसदन का निर्माण- वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के तहत रु. 500.00 लाख का प्रावधान रखा गया जिसके सापेक्ष रु. 500.00 लाख की धनराशि स्वीकृति प्राप्त हुई तथा रु. 500.00 लाख की धनराशि का उपयोग किया गया।

12. महिला बकरी पालन योजना-(राज्य सेक्टर)-

परित्यक्ता, विधवा एवं अकेली रह रही महिलाओं की आर्थिकी में सुधार लाने व उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु महिला बकरी पालन इकाईयों की स्थापना योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 105.00 लाख की धनराशि का उपयोग किया गया। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में रु. 105.00 लाख की धनराशि का उपयोग किया गया।

कार्यक्रम	इकाई	वर्ष 2024-25 की वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 2025-26 के लक्ष्य	वर्ष 2025-26 की उपलब्धि
महिला बकरी पालन इकाई	संख्या	300	437	437

13. बकरी पालन योजना-(राज्य सेक्टर)-

अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य के बी०पी०एल० वर्ग (एस.ई.सी.सी.) के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने तथा उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु 10 बकरियों एवं 01 बकरे की एक इकाई 90 प्रतिशत अनुदान में उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में रु. 330.12 लाख (स्पेशल रु. 273.42 लाख, ट्राइबल में रु. 56.70 लाख एवं सामान्य में 00.00 लाख) की धनराशि का उपयोग किया गया। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में रु. 963.27 लाख (सामान्य रु. 409.50 स्पेशल रु. 463.68 लाख, ट्राइबल रु. 90.09 लाख) की धनराशि का उपयोग किया गया।

कार्यक्रम	इकाई	वर्ष 2024-25 की वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 2025-26 के लक्ष्य	वर्ष 2025-2026 की उपलब्धि
बकरी पालन इकाई	संख्या	1529	2019	2019

14. भेड़ पालन योजना-(राज्य सेक्टर)-

अनुसूचित जाति/जनजाति के बी०पी०एल० वर्ग (एस.ई.सी.सी.) के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने तथा उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु 10 भेड़ एवं 01 भेड़ा की एक इकाई 90 प्रतिशत अनुदान में उपलब्ध कराये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में 83.16 लाख (स्पेशल 65.52 लाख, ट्राइबल में 17.64 लाख) की धनराशि का

उपयोग किया गया। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में रु. 128.52 लाख (स्पेशल 97.65 लाख, ट्राइबल में 30.87 लाख) की धनराशि का उपयोग किया गया।

कार्यक्रम	इकाई	वर्ष 2024-25 की वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 2025-26 के लक्ष्य	वर्ष 2025-2026 की उपलब्धि
भेड़ पालन इकाई	संख्या	204	202	202

15. गौ पालन योजना-(राज्य सेक्टर)-

अनुसूचित जाति/जनजाति के बी०पी०एल० वर्ग (एस.ई.सी.सी.) के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने तथा उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु चतुर्थ ब्यात तक की दुधारू गाय की एक इकाई 90 प्रतिशत अनुदान में उपलब्ध कराये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में 221.76 लाख (स्पेशल 187.56 लाख, ट्राइबल में 34.20 लाख) की धनराशि का उपयोग किया गया। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में रु. 467.28 लाख (स्पेशल 407.16 लाख, ट्राइबल में 60.12 लाख) की धनराशि का उपयोग किया गया।

कार्यक्रम	इकाई	वर्ष 2024-25 की वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 2025-26 के लक्ष्य	वर्ष 2025-2026 की उपलब्धि
गौ पालन इकाई	संख्या	1298	1292	1290

वर्ष 2025-26 में स्वरोजगार/लाभार्थीपरक योजना (राज्य पशुधन मिशन,कुक्कुट वैली,ब्रायलर फार्म,महिला बकरी पालन,भेड़ पालन,गाय पालन). मद में सामान्य के लिए प्रावधान रु0 3040.000,लाख, स्वीकृत रु0 2205.110 लाख तथा व्यय रु0 2196.100 किया गया, स्पेशल हेतु प्रावधान रु0 1091.970,लाख, स्वीकृत रु0 1091.970 लाख तथा व्यय रु0 1091.970 किया गया तथा ट्राइबल हेतु प्रावधान रु0 65.000,लाख, स्वीकृत रु0 64.800 लाख तथा व्यय रु0 64.800 लाख किया गया। जिसका कुल योग प्रावधान रु0 4196.970,लाख, स्वीकृत रु0 3361.880 लाख तथा रु0 3352.870 लाख की धनराशि का व्यय किया गया।

16.नाबार्ड पोषित योजना (राजस्व/पूँजीगत)

नाबार्ड द्वारा पोषित तीन भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों, एक क्रासब्रीड हीफर फार्म तथा एक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में रु. 502.34 लाख की धनराशि का उपयोग किया गया। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में रु. 3904.24 लाख की धनराशि का उपयोग किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजनान्तर्गत धनराशि प्रावधान रु0 2700.00,लाख, के सापेक्ष स्वीकृत रु0 2700.00लाख तथा रु0 2700.00लाख की धनराशि का व्यय किया गया

107-चारा विकास-

17.चारा बैंकों (भण्डारण/वितरण गृह) की स्थापना (राज्य सेक्टर)-

राज्य में चारे की कमी को दूर करने तथा पशुपालकों को निकटतम स्थान पर पशुओं हेतु काम्पैक्ट फीड ब्लॉक चारा उपलब्ध कराने हेतु न्याय पंचायत स्तर पर चारा बैंकों (भण्डारण/वितरण गृह) की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु योजनान्तर्गत 1.21 लाख की धनराशि का उपयोग किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना के तहत धनराशि प्राप्त नहीं हुयी। चारा बीज वितरण की योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में रु. 100.00 लाख की धनराशि का उपयोग किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजनान्तर्गत धनराशि प्रावधान रु0 125.000,लाख, स्वीकृत रु0 125.00 लाख तथा रु0 125.00लाख की धनराशि का व्यय किया गया।

22-पशुधन विकास-

18- मुख्य मंत्री राज्य पशुधन मिशन- पशुपालकों को स्वरोजगारी बनाने हेतु राज्य पशुधन मिशन योजना के अन्तर्गत (05 गाय यूनिट, 02 भैंस यूनिट, 10 गाय यूनिट, 05 भैंस यूनिट, 01 खच्चर यूनिट, 02 खच्चर यूनिट, 5+1 भेड़/बकरी यूनिट, 10+1 भेड़/बकरी यूनिट, 5+1 सूकर यूनिट एवं कामर्शियल ब्रायलर यूनिट (1000 पक्षी), छोटे कामर्शियल लेयर फार्म (250 पक्षी) लाभार्थियों को बैंक ऋण के ब्याज का 90 प्रतिशत ब्याज उपदान दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजना के तहत 00.00 लाख की धनराशि का उपयोग किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना के तहत रु. 609.01 लाख की धनराशि का उपयोग किया गया।

23-नकूल स्वास्थ्य पत्र/पशुधन संजीवनी - वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना के तहत रु. 19.86 लाख की धनराशि का उपयोग किया गया।

24- गौ संरक्षण को बढ़ावा (आबकारी सैस)-वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना के तहत रु. 787.35 लाख की धनराशि का उपयोग किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजनान्तर्गत धनराशि प्रावधान रु0 1000.000,लाख, स्वीकृत रु0 1000.00 लाख तथा रु0 949.920लाख की धनराशि का व्यय किया गया।

25-ग्राम्य गो सेवक योजना- वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना के तहत रु. 21.04 लाख की धनराशि का उपयोग किया गया।

26- आई.टी.बी.पी.को भेड़-बकरी, कुक्कूट की आपूर्ति (रा.आ.नि.)- वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना के तहत रु. 620.00 लाख की धनराशि का उपयोग किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजनान्तर्गत धनराशि प्रावधान रु0 1366.000,लाख, स्वीकृत रु0 746.00 लाख तथा रु0 746.00लाख की धनराशि का व्यय किया गया।

केन्द्र पोषित योजनायें-

1.उत्तराखण्ड राज्य पशु चिकित्सा परिषद का गठन (50 प्र0के0पो0)-

इस योजना का उद्देश्य भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 के प्रावधानों के अनुसार पशु चिकित्सा व्यवसाय को विनियमित करना तथा पशु चिकित्सा व्यवसायियों का पंजीकरण करना है। भारत सरकार की 50 प्रतिशत सहायता से उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद् की स्थापना की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में उक्त योजनान्तर्गत धनराशि प्राप्त नहीं हुयी है।

2.पशु रोगों के नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता -

पशुओं में होने वाली विभिन्न बीमारियों पर नियंत्रण हेतु भारत सरकार की सहायता के अर्न्तगत योजना संचालित है। योजनान्तर्गत पशुओं को टीकाकरण, पशु चिकित्सा जैवकीय उत्पादन यूनिटों तथा रोग निदान प्रयोगशालाओं के सुदृढीकरण, कार्यशालाओं/सेमीनारों के आयोजन के साथ-साथ सेवाधीन प्रशिक्षण दिया जाता है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में रु. 273.65 लाख की धनराशि का उपयोग किया गया।

वर्ष 2025-26 में पशुरोगो पर नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता-90 प्रंके.सं. मद में सामान्य के लिए प्रावधान रु0 733.560,लाख, स्वीकृत रु0 202.200 लाख तथा व्यय रु0 202.198 किया गया, स्पेशल हेतु प्रावधान रु0 210.310,लाख, स्वीकृत रु0 44.867 लाख तथा व्यय रु0 44.867 किया गया तथा ट्राईबल हेतु प्रावधान रु0 39.130,लाख, स्वीकृत रु0 23.244 लाख तथा व्यय रु0 23.244लाख किया गया। जिसका कुल योग प्रावधान रु0 983.00,लाख, स्वीकृत रु0 270.311 लाख तथा व्यय रु0 270.309 किया गया।

वर्ष 2025-26 में पशुरोगो पर नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता-100 प्रंके.सं. मद में सामान्य के लिए प्रावधान रु0 21.150लाख, स्वीकृत रु0 8.720 लाख तथा व्यय रु0 8.720 किया गया, स्पेशल हेतु प्रावधान रु0 8.100,लाख, स्वीकृत रु0 1.940 लाख तथा व्यय रु0 1.940 किया गया तथा ट्राईबल हेतु प्रावधान रु0 5.160,लाख, स्वीकृत रु0 1.00.00 लाख तथा व्यय रु0 1.00लाख किया गया। जिसका कुल योग प्रावधान रु0 34.410,लाख, स्वीकृत रु0 11.660 लाख तथा व्यय रु0 11.660 किया गया।

वर्ष 2025-26 में पशुरोगो पर नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता-50 प्रंके.सं. मद में सामान्य के लिए प्रावधान रु0 2.020,लाख, स्वीकृत रु0 0.680 लाख तथा व्यय रु0 0.680 किया गया, स्पेशल हेतु प्रावधान रु0 0.520,लाख, स्वीकृत रु0 0.160 लाख तथा व्यय रु0 0.160 किया गया तथा ट्राईबल हेतु प्रावधान रु0 0.520,लाख, स्वीकृत रु0 0.080 लाख तथा व्यय रु0 0.080लाख किया गया। जिसका कुल योग प्रावधान रु0 3.060,लाख, स्वीकृत रु0 0.920 लाख तथा व्यय रु0 0.920 किया गया।

कार्यक्रम	इकाई	वर्ष 2024-25 की वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 2025-26 के लक्ष्य	वर्ष 2025-26 की उपलब्धि
H.S	संख्या	281665	4 लाख	282509
B.Q	संख्या	2137		2694
R.D	संख्या	456661	1 लाख	337767
F.P	संख्या	130284	1 लाख	268666
ARV	संख्या	74567	1 लाख	108753
Block Level Camp	संख्या	95	190	190
State Level Camp	संख्या	—	—	—
Training of Paravet	संख्या	—	—	—
Training of Vets	संख्या	—	—	—

3. वर्तमान पशु चिकित्सालयों/औषधालयों की स्थापना एवं सुदृढीकरण (90प्र0के0स0)-

भारत सरकार द्वारा पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजनान्तर्गत वर्तमान पशु चिकित्सालयों एवं औषधालयों की स्थापना एवं सुदृढीकरण हेतु एक योजना प्रारम्भ करते हुए प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये थे, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रेषित प्रोजेक्ट के अनुसार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में रु. 1138.06 लाख धनराशि व्यय की गयी है।

वर्ष 2025-26 में वर्तमान पशुचिकि./पशु आषौ० की स्थापना/सुदृढीकरण एवं ए.वी.यू. का संचालन-90 प्रक.सं. मद में सामान्य के लिए प्रावधान रु० 1094.553,लाख, स्वीकृत रु० 1094.533 लाख तथा व्यय रु० 1094.533 किया गया, स्पेशल हेतु प्रावधान रु० 279.153,लाख, स्वीकृत रु० 279.153 लाख तथा व्यय रु० 279.153 किया गया तथा ट्राईबल हेतु प्रावधान रु० 141.687,लाख, स्वीकृत रु० 141.667 लाख तथा व्यय रु० 141.667 लाख किया गया। जिसका कुल योग प्रावधान रु० 1515.393,लाख, स्वीकृत रु० 1515.333 लाख तथा व्यय रु० 1515.333 किया गया।

4. नेशनल लाइव स्टाक मिशन-कै०स०

भारत सरकार की NLM योजनान्तर्गत पशुधन बीमा, कुक्कुट विकास, भेड़ विकास व कौशल विकास आदि कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 0.44 लाख की धनराशि ही भारत सरकार से उपलब्ध हो सका था। वित्तीय वर्ष 2024-25 में रु. 422.20 लाख की धनराशि का उपयोग किया गया है।

1. नेशनल लाइवस्टाक मिशन-90 प्रक.सं.- वर्ष 2025-26 में मद में सामान्य के लिए प्रावधान रु० 1845.887,लाख, स्वीकृत रु० 436.389 लाख तथा व्यय रु० 436.385 किया गया, स्पेशल हेतु प्रावधान रु० 715.457,लाख, स्वीकृत रु० 250.000 लाख तथा व्यय रु० 250.000 किया गया तथा ट्राईबल हेतु प्रावधान रु० 214.823,लाख, स्वीकृत रु० 55.556 लाख तथा व्यय रु० 55.556 लाख किया गया। जिसका कुल योग प्रावधान रु० 2776.167,लाख, स्वीकृत रु० 741.945 लाख तथा व्यय रु० 741.941 किया गया।

2. नेशनल लाइवस्टाक मिशन-100 प्रक.सं. वर्ष 2025-26 में मद में सामान्य के लिए प्रावधान रु० 133.100लाख, स्वीकृत रु० 0.000 लाख तथा व्यय रु० 0.000 किया गया, स्पेशल हेतु प्रावधान रु० 71.000लाख, स्वीकृत रु० 0.000 लाख तथा व्यय रु० 0.000 किया गया तथा ट्राईबल हेतु प्रावधान रु० 22.580लाख, स्वीकृत रु० 0.000 लाख तथा व्यय रु० 0.000लाख किया गया। जिसका कुल योग प्रावधान रु० 226.68 लाख, स्वीकृत रु० 0.000 लाख तथा व्यय रु० 0.000 किया गया।

3.नेशनल लाइवस्टाक मिशन-50 प्रक.सं. वर्ष 2025-26 में मद में सामान्य के लिए प्रावधान रु० 2.020लाख, स्वीकृत रु० 0.000 लाख तथा व्यय रु० 0.000 किया गया, स्पेशल हेतु प्रावधान रु० 64.500लाख, स्वीकृत रु० 0.000 लाख तथा व्यय रु० 0.000 किया गया तथा ट्राईबल हेतु प्रावधान रु० 2.020लाख, स्वीकृत रु० 0.000 लाख तथा व्यय रु० 0.000लाख किया गया। जिसका कुल योग प्रावधान रु० 68.54 लाख, स्वीकृत रु० 0.000 लाख तथा व्यय रु० 0.000 किया गया।

कार्यक्रम	इकाई	वर्ष 2024-25 की वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 2025-26 के लक्ष्य	वर्ष 2025-26 की उपलब्धि
पशुधन बीमा	संख्या	73,835	1,00,000	11837
कुक्कुट वैली	संख्या	409	543	299
ब्रायलर फार्म	संख्या	1171	1360	904
चारा विकास- गौचर भूमि	संख्या	—	—	—
पशुधन मेले-1)विकासखण्डस्तर 2) जनपद स्तर	संख्या	—	—	—
	संख्या	—	—	—
भेड़ों में कृत्रिम गर्भाधा न	1)कृत्रिम गर्भाधानलैब का निर्माण	संख्या	—	—
	2) प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षणार्थी	संख्या	—	—
	3) शिविरों का आयोजन-	संख्या	—	—
	(क) लाभान्वित पशु	संख्या	—	—

5. पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण-90:10 एवं 100 प्र०कै०स०-

भेड़-बकरियों में होने वाली विभिन्न बीमारियों पर नियंत्रण करने हेतु भारत सरकार की 90 प्रतिशत सहायता के अन्तर्गत योजना संचालित है अतः भेड़ बकरियों आदि में पी०पी०आर० बड़े पशुओं में एफ०एम०डी० ०४ से ०८ माह के गौ वंशीय एवं महिष वंशीय मादा में ब्रूसेलिसस का टीकाकरण एवं सूकर में सी०एस०एफ० का टीकाकरण किया जाता है जिस हेतु वैक्सीन भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। इस योजनान्तर्गत 13 जनपद के 60 विकासखण्डों में मोबाईल वेटनरी यूनिट (1962) संचालित की जा रही हैं। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु भारत सरकार से इस योजना में धनराशि..... प्राप्त नहीं हो पायी है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में कोई भी धनराशि उपयोग नहीं की गयी है।

कार्यक्रम	इकाई	वर्ष 2023-24 की वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 2024-25 के लक्ष्य	वर्ष 2025-26 की उपलब्धि
-----------	------	----------------------------------	------------------------	-------------------------

पी.पी.आर. टीकाकरण	संख्या	1173089	13.16 लाख	448506
एफ०एम०डी०		4149801	68.32 लाख	5267052
ब्रूसलसिस		118118	1 लाख	21084
सी०एस०एफ०		—	—	—
मोबाईल वेटनरी यूनिट		60	60	60
1 एम यू वी		85203	—	190585
2 चिकित्सा				

6. नकुल स्वास्थ्य पत्र—

नेशनल मिशन फॉर बोवाईन प्रोडक्टिविटी के अन्तर्गत पशुधन में यूनिक आइडेन्टीफिकेशन हेतु 12 अंकों का ईयर-टैग लगाकर उसका पशुस्वास्थ्य पत्र (नकुल स्वास्थ्य पत्र) बनाकर डाटा को नेशनल डाटा बेस में अपलोड करने हेतु व्यवस्थित 1055 टैबलेटों की नेटवर्क कनेक्टिविटी हेतु योजनान्तर्गत विगत वर्षों वित्तीय वर्षों में धनराशि प्राप्त नहीं हुयी है।

7. लिंग वर्गीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र —

लिंग वर्गीकृत वीर्य के प्रयोग से कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से पशुओं में नस्ल सुधार व अधिक संख्या में मादा संतति उत्पन्न होने तथा नर संतति के भरण पोषण के व्यय में कमी लाने तथा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु 585.00 लाख भारत सरकार द्वारा यू०एल०डी०बी० के खाते में PFMS के माध्यम से हस्तान्तरित किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना के तहत रु. 3.57 लाख धनराशि व्यय की गयी है।

वर्ष 2025-26 में लिंग वर्गीकृत वीर्य उत्पादन-10 प्र.के.सं. मद में सामान्य के लिए प्रावधान रु० 0.010 लाख, स्वीकृत रु० 0.000 लाख तथा व्यय रु० 0.000 किया गया, स्पेशल हेतु प्रावधान रु० 0.010 लाख, स्वीकृत रु० 0.000 लाख तथा व्यय रु० 0.000 किया गया तथा ट्राईबल हेतु प्रावधान रु० 0.010 लाख, स्वीकृत रु० 0.000 लाख तथा व्यय रु० 0.000 लाख किया गया। जिसका कुल योग प्रावधान रु० 0.0308 लाख, स्वीकृत रु० 0.000 लाख तथा व्यय रु० 0.000 किया गया।

कार्यक्रम	इकाई	वर्ष 2024-25 की वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 2025-26 के लक्ष्य	वर्ष 2025-26 की उपलब्धि
स्ट्रॉ उत्पादन	संख्या	209697	3,00,000	298543
स्ट्रॉ वितरण	संख्या	173524	3,00,000	133890
कृत्रिम गर्भाधान	संख्या	229986	3,00,000	231374
कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न संतति	संख्या	59811	1,10,000	71703

8. प्रदेश में पशुगणना का कार्य (100 प्र०के०स०)—

राज्य में पाले जा रहे बहुमूल्य पशुधन की गणना का कार्य भारत सरकार की शत-प्रतिशत सहायता से भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है, इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु रु. 4.50 लाख की धनराशि का उपयोग किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में रु. 22.00 लाख की धनराशि का उपयोग किया गया है।

वर्ष 2025-26 में एल.सी.एंड आई.एस.एस. पशुगणना का कार्य-100 प्र.के.सं. मद में सामान्य के लिए प्रावधान रु० 355.470 लाख, स्वीकृत रु० 140.000 लाख तथा व्यय रु० 140.000 किया गया, स्पेशल हेतु प्रावधान रु० 87.730 लाख, स्वीकृत रु० 0.000 लाख तथा व्यय रु० 0.000 किया गया तथा ट्राईबल हेतु प्रावधान रु० 18.480 लाख, स्वीकृत रु० 0.000 लाख तथा व्यय रु० 0.000 लाख किया गया। जिसका कुल योग प्रावधान रु० 461.680 लाख, स्वीकृत रु० 140.000 लाख तथा व्यय रु० 140.000 लाख किया गया।

9. पशुपालन सांख्यिकीय प्रकोष्ठ की स्थापना (50 प्र०के०पो०)—

पशुपालन विभाग का सांख्यिकीय प्रभाग दूध, अण्डा, मांस तथा ऊन जैसे प्रमुख पशु उत्पाद का अनुमान लगाने के लिए एकीकृत नमूना सर्वेक्षण आयोजित करता है। राज्य में पशुजन्य पदार्थों के उत्पादन के वार्षिक अनुमान निकालने हेतु भारत सरकार की 50 प्रतिशत सहायता से योजना संचालित है। योजनान्तर्गत कार्यरत कर्मियों के वेतनादि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में रु. 110.42 लाख की धनराशि का उपयोग किया गया तथा इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में रु. 55.21 लाख की धनराशि का उपयोग किया गया। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में रु. 112.89 लाख की धनराशि का उपयोग किया गया तथा इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में रु. 56.45 लाख की धनराशि का उपयोग किया गया।

पशुपालन सांख्यिकीय प्रकोष्ठ की स्थापना (100 प्र0के0पो0) –

वर्ष 2025–26 में सांख्यिकीय प्रकोष्ठ की स्थापना—50 प्रंके.सं. मद में सामान्य के लिए प्रावधान रू0 127.520लाख, स्वीकृत रू0 80.000 लाख तथा व्यय रू0 0.020 किया गया एवं वर्ष 2025–26 में सांख्यिकीय प्रकोष्ठ की स्थापना—50 प्रंके.सं. मद में सामान्य के लिए प्रावधान रू0 129.860 लाख, स्वीकृत रू0 127.510 लाख तथा व्यय रू0 112.910 लाख किया गया तथा वर्ष 2025–26 में सांख्यिकीय प्रकोष्ठ की स्थापना—100 प्रंके.सं. मद में सामान्य के लिए प्रावधान रू0 10.100 लाख, स्वीकृत रू0 5.000 लाख तथा व्यय रू0 5.000 किया गया

कार्यक्रम	इकाई	वर्ष 2024–25 की उपलब्धि	वर्ष 2025–26 के लक्ष्य
दुग्ध उत्पादन	हजार टन	1957	1992
अण्डा उत्पादन	लाख संख्या	6310	6741
मांस उत्पादन	लाख कि.ग्रा.	256	267
ऊन उत्पादन	हजार कि.ग्रा.	471	479